Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 196/2009 सी.आई.एस.क्र.– 196/2009

तेंदुला देवी एवं अन्य बनाम माधुरी देवी एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
04.09.2025	वादी एवं प्रतिवादी सं0 8, 9, 10, 11 से 11सी, 12 से 20 एवं अन्य प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद प्रतिवादी सं0 21 से 25 की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.06.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन को संचालित कर उक्त प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि इस वाद में प्रतिवादी सं0 21 से 25 की ओर से गवाही चल रही थी परंतु दिनांक 27.05.2025 को उक्त प्रतिवादीगण के साक्ष्य के अवसर को समाप्त कर दिया गया है। जबकि उक्त प्रतिवादीगण की ओर से अन्य साक्षी को प्रस्तुत किया जाना शेष है। अतः निवेदन है कि दिनांक 27.05.2025 के आदेश को वापस लेते हुये प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने का कृपा की जाये। वादी की ओर से प्रतिवादी के उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी सं0 21 से 25 को साक्ष्य हेतु प्रर्याप्त अवसर दिया जा चुका है परंतु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ऐसी दशा में उक्त प्रतिवादीगण का यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं0 8 से 20 की ओर से मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह वाद दिनांक 07.06.2024 से प्रतिवादी सं0 21 से 25 के साक्ष्य हेतु चल रहा था परंतु उक्त प्रतिवादीगण के द्वारा मात्र तीन साक्षी को परीक्षित कराया गया है जिस कारण से दिनांक 27.05.2025 को उक्त प्रतिवादीगण की ओर से न तो उपस्थित हुये और न ही साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के कारण उनको साक्ष्य देने से वंचित कर दिया गया है। उक्त प्रतिवादीगण का कथन है कि इस वाद में उन्हें अन्य साक्ष्य दिया जाना शेष है। ऐसी दशा में वादी को हुई असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिवादी सं0 21 से 25 के इस आवेदन को इस निर्देश के साथ **500 रूपये खर्च पर स्वीकृत** किया जाता है कि वह आगामी चार तिथियों के भीतर अपना संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करेगें। खर्चा वादी को देय होगा। वाद आगामी दिनांक 19.09.2025 वास्ते प्रतिवादी सं0 21 से 25 के साक्ष्य हेतु। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	